



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No

44/893 सी-6/एच-520/ए.एम. 640/2019

Dated

26/9/19

To,

The Registrar General,  
Hon'ble, National Green Tribunal,  
Principal Bench,  
Faridkot House, Copernicus Marg,  
New Delhi- 110001


**Sub:** Submission of Compliance report of order dated 20.08.2019 passed by Hon'ble NGT, New Delhi in O.A. no. 640/2019 Vinod kumar Soni Vs. State of Uttar Pradesh.

Sir,

Kindly refer the subject mentioned above. Compliance report of order dated 20.08.2019 passed by Hon'ble NGT, New Delhi in OA no. 640/2019 regarding ill-legal sand mining in river Sarayu is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

**Enclosures: As above**


Sincerely Yours,

  
26/9/19  
(S.B. Singh)

**Chief Environmental Officer  
Circle-6**

**Copy to:**

Shri Pradeep Misra Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida District-GB Nagar, 201301 for information and further necessary action.

  
26/9/19  
**Chief Environmental Officer  
Circle-6**

**Compliance report of order dated 20.08.2019 passed by Hon'ble NGT, New Delhi in O.A. no. 640/2019 Vinod Kumar Soni Vs. State of Uttar Pradesh:**


The relevant portion of the Hon'ble NGT, New Delhi order in OA no. 640/2019 dated 20.08.2019 is as follows:-

".....Grievance in this letter, which has been treated as an application, is against illegal sand mining in river Sarayu, Village-Meerapur Duaba, Ayodhya, U.P. by diverting river flow at Bekunth Dham, which is adversely affecting the flow of the river.

Let the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) look into the matter and take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report to this Tribunal within one month from the date of receipt of copy of this order by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in).

1. That in compliance of order dated 20.08.2019 a letter was sent to Regional Officer, UP Pollution Control Board, Ayodhya for inspection regarding complaint of Vinod Kumar Soni Vs. State of Uttar Pradesh. Copy of the said letter is **annexed as annexure-01**.
2. That the Regional Officer, UP Pollution Control Board, Ayodhya requested to District Mine Officer, Ayodhya for site inspection regarding complaint of Vinod Kumar Soni Vs. State of Uttar Pradesh vide letter no. 1233/NGT/OA no.-640/2019 dated 18.09.2019.
3. That as per inspection of Mine Officer, Ayodhya no mining lease/mining licence has granted at Village-Meerapur Duaba, Ayodhya, U.P. At present any type of mining work in not being done. Copy of the said inspection report is **annexed as annexure-02**.
4. That as per inspection report Regional Officer, UP Pollution Control Board, Ayodhya dated 20.09.2019 it was found that site is presently submerged with water of river Sarayu. According to inspection report no mining work is being done. Sand was dumped on one site. Copy of the said inspection report is **annexed as annexure-03**.

  
EE  
C-6

  
26/9/2019  
CEO,  
C-6



Enrol No. 11-9-2019  
Annexure No-1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H4/152 / सी-6/ए.एम.-640/2019-528/2019

Dated 11-9-19  
मा0 एन.जी.टी. प्रकरण  
ई-मेल द्वारा

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,  
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
अयोध्या।

विषय: मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में दायर ओ0सं0-640/2019 विनोद कुमार सोनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2019 के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2019 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

“.....Grievance in this letter, which has been treated as an application, is against illegal sand mining in river Sarayu, village Meerapur Duaba, Ayodhya, U.P. by diverting river flow at Bekunth Dham, which is adversely affecting the flow of the river.

Let the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) look into the matter and take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report to this Tribunal within one month from the date of receipt of copy of this order by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in).....”

मा0 अधिकरण के उक्त आदेश के संबंध में निरीक्षण आख्या एवं कृत कार्यवाही का विवरण विलम्बतम 1 सप्ताह में बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे action taken report ससमय मा0 एन.जी.टी. में दायर किया जा सके।

भवदीय,

  
11/9/19  
(एस0बी0 सिंह)  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
(वृत्त-6)

प्रेषक,  
खान अधिकारी  
अयोध्या

सेवा में,  
क्षेत्रीय अधिकारी  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
क्षेत्रीय कार्यालय अयोध्या

संख्या 2949/तीस उपखनिज/2019एन०जी०टी० : दिनांक 19 सितम्बर 2019  
विषय- मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में दायर ओ०सं०-640/2019 विनोद कुमार सोनी बनाम  
स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 20.08.2019 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1233/एन०जी०टी०/ओ०न०640/2019  
/2019 दिनांक 18.09.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण  
के संबंध में आख्या चाही गयी है। इस संबंध में अवगत कराना है कि ग्राम मीरापुर द्वाबा जनपद  
अयोध्या स्थित सरयू नदी में साधारण बालू खनन हेतु खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत  
नहीं है। वर्तमान में उक्त क्षेत्र में किसी प्रकार की खनन संकियाये नहीं हो रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से भी उक्त का परीक्षण कराते हुए अनुपालन  
आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें।

20/9/2019

भवदीय  
[Signature]  
(जे०पी० दिवदी)  
खान अधिकारी  
अयोध्या



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AYODHYA

सन्दर्भ सं०  
Ref. No. : 1283/NCT/O.No.640/2019/2019

दिनांक : 21/09/2019  
Dated : .....

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6),  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ

विषय- मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में दायर ओ०सं०-640/2019 विनोद कुमार सोनी बनाम स्टेट ऑफ यूपी० में पारित आदेश दिनांक 20.08.2019 के संबंध में |

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या H-41152/सी-6/O.A.No.-640/सा-520/2019 दिनांक 11.09.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें | उक्त संबंध में मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में दायर ओ०सं०-640/2019 विनोद कुमार सोनी बनाम स्टेट ऑफ यूपी० में पारित आदेश दिनांक 20.08.2019 के संबंध में सन्दर्भित शिकायती स्थल सरयू नदी के किनारे ग्राम मीरापुर टाबा का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 20.09.2019 को किया गया | उक्त की निरीक्षण आख्या पत्र साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है |

संलग्नक : उपरोक्तानुसार |

*Imp*  
*23/9/19*  
*ND/TC*

भवदीय  
*Swami Nath Ram*  
(स्वामी नाथ राम)  
क्षेत्रीय अधिकारी

सन्दर्भ- मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में दायर ओ0सं0-640/2019 विनोद कुमार सोनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2019 के संबंध में सन्दर्भित शिकायती स्थल सरयू नदी के किनारे ग्राम मीरापुर द्वाबा की निरीक्षण आख्या :

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या H-41152/सी-6/O.A.No.-640/सा-520/2019 दिनांक 11.09.2019 के सन्दर्भ में मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में दायर ओ0सं0-640/2019 विनोद कुमार सोनी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2019 के संबंध में सन्दर्भित शिकायती स्थल सरयू नदी के किनारे ग्राम मीरापुर द्वाबा का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 20.09.2019 को किया गया | निरीक्षण के समय शिकायती स्थल पर कोई व्यक्ति/ग्रामवासी उपस्थित नहीं पाया गया | निरीक्षण के समय निम्न तथ्य प्रकाश में आये -

- (1) निरीक्षण के समय सन्दर्भित स्थल पर सरयू नदी का पानी भरा पाया गया | मौके पर उक्त क्षेत्र में खनन की प्रक्रिया होती हुई नहीं पायी गयी | निरीक्षण के समय एक स्थल पर बालू डम्प की हुई पायी गयी (फोटोग्राफ्स संलग्न)|
- (2) उक्त सन्दर्भित शिकायत के संबंध में कार्यालय के पत्र संख्या 1233/एन.जी.टी./ओ.ए.नं0-640/2019 दिनांक 18.09.2019 द्वारा खान निरीक्षक, जनपद अयोध्या को पत्र प्रेषित किया गया | उक्त संबंध में खान अधिकारी अयोध्या के पत्र संख्या 2949/तीस उपखनिज/2019एन.जी.टी. दिनांक 18.09.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त क्षेत्र में साधारण बालू खनन हेतु खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत नहीं है | वर्तमान में उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार की खनन की प्रक्रियायें नहीं हो रही है |

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित |

*21/09/19*  
(आर.के.मौर्य)  
सहा0पर्या0अभि0

*Swami Nath Ram*  
21.09.2019  
(स्वामी नाथ राम)  
क्षेत्रीय अधिकारी

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6),

